

कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन और अन्य

बनाम

श्री बी.जी. मनमोहना प्रियंका और अन्य

(सिविल अपील सं. 2702/2023)

अप्रैल 28, 2023

[न्या. एम.आर. शाह और न्या. सी.टी. रविकुमार]

सेवा कानून - वेतन संशोधन - पात्रता पर अभिनिर्धारित हुआ-
दिनांक 27.09.2006 और 02.06.2008 की को संयुक्त रूप से पढ़ने पर वे
सभी कर्मचारी जो दिनांक 02.06.2008 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने
के अधीन हैं, वे मौजूदा वेतन के अलावा अतिरिक्त 2 प्रतिशत के हकदार
होंगे भले ही दिनांक 01.04.2023 पर वे सेवा में थे या नहीं- इस प्रकार,
अपीलार्थीगण की ओर से मामला है कि चूंकि प्रत्यर्थी- सहायक कार्यकारी
अभियंताओं (विद्युत) को दिनांक 01.04.2023 पर नियुक्त नहीं किया गया
था और उन्हें बाद में वर्ष 2007 में नियुक्त किया गया था, इसलिए,
अतिरिक्त 2 प्रतिशत के हकदार नहीं होने में कोई सार नहीं है - हालांकि,
एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अतिरिक्त सहायक
कार्यकारी अभियंताओं (विद्युत) के मौजूदा वेतन के साथ उनकी नियुक्ति की
तिथि से मूल वेतन में 2 प्रतिशत अपने आप से जोड़कर प्रत्यर्थी के
वेतनमान को संशोधित करने के निर्देश देने में त्रुटि की है, हालांकि उन
शर्तों के अधीन रखा है जो डी.ओ./आदेश दिनांकित 02.06.2008 में
उल्लिखित है अर्थात् संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त
करने के अधीन है।

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील सं. 2702/2023।

रि.आ. सं. 698/2020 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 15.02.2021 द्वारा।

के.एम. नटराज, अति.महा.सा., राघवेंद्र एस. श्रीवास्तव, वैकिता सुब्रमण्यम टी.आर., लिखी चंद बोन्सले, सुश्री कोमल मुंधार, अपीलार्थीगण के लिए अधिवक्ता।

पीवी सुरेंद्रनाथ, वरिष्ठ अधिवक्ता, बीजू पी रमन, सावन कुमार शुक्ला, सुश्री लेखा सुधाकर, प्रत्यर्थीगण के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

न्या., एम.आर. शाह

1. कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु की खण्ड पीठ द्वारा रिट अपील सं. 698/2020 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस किया जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने यहाँ पर अपीलार्थी(गण) द्वारा दायर की गई उक्त अपील को खारिज कर दिया है और रिट याचिका सं. 4667/2015 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने मूल रिट याचीगण को 9,745/- रुपए का मूल वेतन प्रति माह उनके सेवा में प्रवेश करने की तारीख से प्रभावी कर देने का निर्देश दिया, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद निगम के रूप में संदर्भित) और अन्य ने वर्तमान अपील को दायर किया है।

2. कि मूल रिट याचीगण यहाँ पर प्रत्यर्थी(गण) को दिनांक 06.10.2007 पर अपीलार्थी-निगम में सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के रूप में नियुक्त किया गया था। कि उनका वेतनमान रु.9,470-20,470/- प्रति माह था। कि अपीलार्थी-निगम ने दिनांक 01.04.2003 से वेतनमान को संशोधित करते हुए डी.ओ./आदेश दिनांकित 27.09.2006 जारी किया था।

2.1 कि इसके बाद, आगे एक डी.ओ./आदेश जारी किया गया जिसमें कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर विचार करते हुए 2% वेतन वृद्धि दिनांक 01.04.2003 से प्रभावित किया गया था। इसमें आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि वेतन में 2% की वृद्धि को मंजूरी देते समय उचित लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है और प्रबंधन से मंजूरी प्राप्त की जा सकती है। डी.ओ./आदेश दिनांकित 02.06.2008 जारी किया गया था जिसके द्वारा दिनांक 01.04.2003 से प्रभावी वेतनमान में 12% (10+2%) के संशोधन की मंजूरी दी गई थी। इसने आगे प्रावधान किया कि दिनांक 01.04.2009 से संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्य-निष्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद 2% वेतन संशोधन के लिए अंतर राशि जारी की जा सकती है। चूंकि मूल रिट याचीगण को वर्ष 2007 में नियुक्त किया गया था इसलिए उन्हें अतिरिक्त 2% वेतन संशोधन का लाभ नहीं दिया गया और इसलिए उन्होंने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर की

थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को मंजूरी दी और वेतन के संशोधन को बढ़ाते हुए उनके वेतन को फिर से अर्थात् $10+2\%=12\%$ तय करने का निर्देश दिया जो 9,745/- रूपए सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के पद के लिए मूल होगा। यह लाभ उनकी नियुक्ति की तारीख से दिया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने बकाए पर 8% की दर से ब्याज भी दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष अपील का विषय था। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, खण्ड पीठ ने आंशिक रूप से अपील को इस हद तक स्वीकार कर लिया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के बकाए राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दिनांक 14.11.2020 से प्राप्ति तक भुगतान करने के निर्देश को हटा दिया गया है। हालांकि, खण्ड पीठ ने मूल वेतन में 12% जोड़ने और इसके परिणामस्वरूप वेतन में संशोधन करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है।

2.2 उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

3. अपीलार्थी (गण) की ओर से उपस्थित विद्वान अति.महा.सा. श्री के.एम. नटराज और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.वी. सुरेंद्रनाथ को सुना गया।

3.1 संबंधित पक्षकारों की ओर द्वारा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और प्रासंगिक डी.ओ./आदेश को पढ़ने के बाद दिनांक 27.09.2006 और 02.06.2008 के डी.ओ./आदेश को देखने के बाद मूल रिट याचिकाकर्ता भले ही वर्ष 2007 में नियुक्त किए गए थे सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के पद पर मौजूदा वेतन के अलावा 12 प्रतिशत जोड़कर वेतन में संशोधन का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। 10 प्रतिशत की वृद्धि के संबंध में कोई विवाद नहीं है। हालाँकि, विवाद 2 प्रतिशत की और वृद्धि के संबंध में है। अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि मूल रिट याचिकाकर्ता को वर्ष 2007 में नियुक्त किया गया था और उसके बाद वेतन में संशोधन किया गया था और वास्तव में उन्हें मूल वेतनमान में वेतन मिलना था, वे अतिरिक्त 2 प्रतिशत के हकदार नहीं होंगे में कोई आधार नहीं है। डी.ओ./आदेश दिनांकित 27.09.2006 और 02.06.2008 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, वे सभी कर्मचारी जो डी.ओ./आदेश दिनांक 02.06.2008 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन हैं, वे मौजूदा वेतन के अलावा अतिरिक्त 2 प्रतिशत के हकदार होंगे, चाहे वे दिनांक 01.04.2003 पर सेवा में थे या नहीं। इसलिए, अपीलार्थी (गण) की ओर से यह मामला है कि उन्हें दिनांक 01.04.2003 पर नियुक्त नहीं किया गया था और उन्हें बाद में वर्ष 2007 में नियुक्त किया गया था और इसलिए इसमें कोई सार नहीं है कि वह बिना कड़ी मेहनत किए अतिरिक्त 2 प्रतिशत के हकदार नहीं है। हालाँकि उसी समय पर अपीलार्थी (गण) की

ओर से पेश हुए विद्वान अति.महा.सा. श्री नटराज यह निवेदन करने में न्यायोचित थे कि मूल रिट याचिगण अपने आप ही अतिरिक्त 2 प्रतिशत के हकदार नहीं होंगे और वह भी उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डी.ओ./आदेश दिनांकित 02.06.2008 के अनुसार भी वेतन में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी देते समय उचित लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता थी और तदनुसार उक्त प्रस्ताव के लिए प्रबंधन से उनकी मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। दिनांक 01.04.2009 से संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद 2 प्रतिशत वेतन संशोधन अंतर राशि जारी करने की आवश्यकता थी और उनका पहला मूल्यांकन अप्रैल, 2009 में किया जाना था और दूसरा मूल्यांकन अप्रैल, 2010 में किया जाना था। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपनी नियुक्ति की तारीख से मूल वेतन में अपने आप से 2 प्रतिशत जोड़कर वेतनमान को संशोधित करने का निर्देश देने में भौतिक रूप से गलती की है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पहले वर्ष में सभी रिट याचिगण को परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किया गया था और नियमों के अनुसार, परिवीक्षाधीन के रूप में उन्हें न्यूनतम मूल वेतनमान में रखा जाना था जो प्रासंगिक समय पर रु. 9,470/- था।

4. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से सफल होती है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के पद पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से मौजूदा वेतन के अलावा अतिरिक्त 2 प्रतिशत का भुगतान करने का निर्देश देने वाले विवादित निर्णय और आदेश को अभिखंडित कर अपास्त किया है। यह देखा गया है और निर्देश दिया गया है कि मूल रिट याचीगण को सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के पद के लिए मौजूदा वेतन के अलावा अतिरिक्त 2 प्रतिशत के लिए हकदार होंगे, हालांकि यह डी.ओ./आदेश दिनांकित 02.06.2008 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है अर्थात् संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के अधीन है।

इस संशोधन के साथ, वर्तमान अपील का निपटान किया जाता है।

दिव्या पांडे
(सहायक: अभिषेक अग्निहोत्री और
रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

अपील का निपटान किया गया।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दोबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.